सं0 सं0 14/विविध–26/17

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना–14 ।

पटना, दिनांक.....

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **12.7.17** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1.	दीपक कुमार सिंह पिता–महेश सिंह ग्राम–मनसाही नवादा पोस्ट–मनीका थाना–मुसहरी. जिला–मुजफ्फरपुर सीआरनं0–079443/17	किडनी रोग	₹ 2,00,000/–(दो लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/–

2. उक्त अनुदानं की कुल राशि **₹ 2,00,000/–(दो लाख)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 **30121380424** एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...871839.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम–**"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014** " खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **इलाहाबाद बैंक,** शाखा का नाम – **पटना,** RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।

3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।**

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

5. **आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजो से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।**

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार–बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह0/–
(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक पटना, दिनांक

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....871889.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/–
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1126(14) पटना, दिनांक 17.7.17

प्रतिलिपि–लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/17
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

D:\order copy CM Relief fund\July-17\12-7-17\IGIMS 12.7.17.docx

सं0 सं0 14/विविध–26/17 1126 (14)

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाऐं

बिहार, पटना

प्रेषक

डा0 आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में ,

निदेशक/अधीक्षक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना–14 ।

पटना, दिनांक 17.07.17

विषयः– **मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक **12.7.17** की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम–4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1.	दीपक कुमार सिंह पिता–महेश सिंह ग्राम–मनसाही नवादा पोस्ट–मुन्नीका थाना–मुसहरी जिला–मुजफ्फरपुर सीआरनं0–079443/17	किडनी रोग	₹ 2,00,000/–(दो लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,00,000/–

2. उक्त अनुदानं की कुल राशि **₹ 2,00,000/–(दो लाख)** के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 **30121380424** एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 871839 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 **503 2011 9556** खाता धारक का नाम–**"निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना 800014** " खाते का प्रकार–चालु, बैंक का नाम– **इलाहाबाद बैंक,** शाखा का नाम – **पटना,** RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, **अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। इसे अत्यावश्यक समझा जाय।**
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. **आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजो से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं0 मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नही किया जाय।**

14/7/17

मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नही किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार–बार प्राक्कलन निर्गत नही किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1126(14) पटना, दिनांक 17.07.17

प्रतिलिपि– शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.....871839.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका–2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1126(14) पटना, दिनांक 17.07.17

प्रतिलिपि–लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

D:\order copy CM Relief fund\July-17\12-7-17\IGIMS 12.7.17.docx